मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल,दिनांक 24 / 11 / 2008

क्रमांक / एफ–3–36 / 2008 / 26–2 / मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, नियम–2008, क्रमांक / एफ–3–36 / 2008 / 26–2 दिनांक 12.8.2008 द्वारा जारी किए गए हैं।

अतः उपरोक्त नियम में निम्नलिखित कंड़िका सम्मिलित की जाती हैः–

13. "योजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति"	**"उक्त योजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य निराश्रित निधि मद से की जायेगी"**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,

पृष्ठां / क्रमांक / एफ–3–36 / 2008 / 26–2 / भोपाल, दिनांक 24 / 11 / 2008

प्रतिलिपिः–

1. महामहिम राज्यपाल के निज सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, मा.मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग, मध्यप्रदेश।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
9. कुल सचिव, विश्वविद्यालय / भोपाल / इन्दौर / उज्जैन / जबलपुर / सागर / रीवा / ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
10. कुल सचिव, राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।

11 कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
12. कुल सचिव, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट जिला सतना, मध्यप्रदेश।
13. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ ग्वालियर/रीवा, मध्यप्रदेश।
14. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर और रीवा, मध्यप्रदेश।
15. प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
16. प्रचार्य, मोलाना आजाद राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान, (मेनिट) भोपाल, मध्यप्रदेश।
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत –समस्त (मध्यप्रदेश)
18. संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, जिला–समस्त(मध्यप्रदेश)।
19. समस्त जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समाजिक न्याय विभाग,

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ–3–36/2008/26–2 भोपाल दिनांक 12 अगस्त, 2008

निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार, निम्नलिखित योजना नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

1. संक्षिप्त नाम– इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना नियम, 2008 है।

2.योजना का उद्देश्यः– योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय विभाग के 2–2 अस्थिबाधित निःशक्त छात्र–छात्राओं, 2–2 श्रवणबाधित निःशक्त छात्र–छात्राओं एवं 2–2 दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र–छात्राओं के चयनित विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों / शोध उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरान्त शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जहाँ एक ओर लाभान्वित होने वाले सामाजिक न्याय विभाग के विद्यार्थियों द्वारा विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने के अवसर सुलभ होंगे वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय विभाग के अन्य विद्यार्थी भी उनकी

उपलब्धियों से आकर्षित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में और अधिक अग्रसर होंगे।

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रतिवर्ष बारह छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाना प्रस्तावित है।

3. पात्रता की शर्तें :–

(1) शोध उपाधि उपरान्त अध्ययन हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच. डी.)

(2) शोध उपाधि (पीच. एच.डी.) हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन/शोध/ व्यावसायिक अनुभव/एम.फिल.उपाधि।

(3) स्नातकोत्तर उपाधि हेतु– स्नातक उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड)

4. आयु आवेदन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम, विशेष प्रकरणों में समिति द्वारा 10 वर्षों तक छूट दी जा सकेगी।

5. आय सीमा नियोजित उम्मीदवार की अथवा उसके परिवार/ अभिभावक की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 96,000/–की सीमा से अधिक नहीं होनी

चाहिए।

6. एक परिवार में एक अभ्यर्थी एवं एक बार छात्रवृत्ति

उस परिवार अथवा अभिभावक के एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी, जिनके पुत्र या पुत्री को एक बार यह लाभ मिल चुका है। इस संबंध में अभ्यर्थी का स्वयं का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। एक बार छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके व्यक्ति के नाम पर दूसरी बार अथवा उसके उपरान्त छात्रवृत्ति देने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

7. अन्य अनिवार्य शर्ते

(1) ऐसे अभ्यर्थी जो नियोजन में हैं, उन्हें अपने आवेदन नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ, [नियोक्ता से] अग्रेषित कराकर विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक अथवा उसके पूर्व आयुक्त, सामाजिक न्याय,संचालनालय,1250 तुलसी नगर, भोपाल को प्रेषित करना होंगे।

(2) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को चयन की सूचना प्राप्त होने के तीन वर्षों की समयावधि में विदेशों के अधिमान्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना होगा। इस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर छात्रवृत्ति स्वतः निरस्त होकर समाप्त हो जायेगी। योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए समयवृद्धि का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को अधिमान्य विश्वविद्यालयों /संस्थानों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्राविण्यता (मेरिट) के आधार पर की जावेगी।

(3) चुने हुए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश सरकार के पक्ष में उस पर व्यय की जाने वाली राशि अथवा पचास हजार रूपये ,दोनों में से जो भी अधिक हो, का एक बंध पत्र गैर न्यायिक मुदांक पत्र पर नोटरी के समक्ष दो जमानतदारों से जो अलग– अलग जमानत पत्रक भरेंगे, निष्पादित करना होगा। प्रत्येक बंध पत्र में विदेश में सम्पूर्ण अध्ययन के दौरान वृत्तिधारक पर विशिष्ट रूप से अनुमानित व्यय किये जाने वाले यात्रा खर्चे, शिक्षक शुल्क, निर्वाह एवं आकस्मिक भत्ते, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षुवृत्ति एवं अन्य फुटकर खर्चों का समावेश भारतीय रूपयो में होगा और यह राशि सुरक्षादाता द्वारा अथवा छात्रवृत्ति गृहीता द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को पृथकतः और संयुक्त उस स्थिति में देय होगी यदि उसे उस योजना के प्रावधानों के अधीन चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है। इस बंधपत्र की भाषा मध्यप्रदेश शासन द्वारा तय की जायेगी और प्रत्याशी को स्वीकार्य होगी।

(4) चयनित प्रत्याशी को मध्यप्रदेश सरकार के साथ इस आशय का एक और बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि पाठ्यक्रम के पूर्ण होने या छात्रवृत्ति की समयावधि की समाप्ति, दोनों में से जो भी पहले हो,के उपरान्त विदेश में नहीं रोका जा सकेगा। प्रत्याशी/ छात्रवृत्ति गृहिता उस समयावधि के उपरान्त जिसके

लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है विदेश में रहने की अनुमति नहीं मांगेगा। इस बंधपत्र की भाषा म.प्र. शासन द्वारा तय की जायेगी और प्रत्याशी को स्वीकार्य होगी।

(5) प्रत्याशी स्वीकृत किये गये अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा शोधचर्चा में परिवर्तन नहीं करेगा।

(6) प्रत्याशी को म.प्र.शासन के साथ एक और बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि वह केन्द्र सरकार द्वारा विहित रूप में अभिलेख त्यजन स्वीकृति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा और प्रत्याशी को वह स्वीकार्य होगा।

(7) चयनित अभ्यर्थी म.प्र.शासन की पूर्व अनुमति के अध्यधीन जिसका निर्णय इस बारे में अंतिम होगा एवं जिसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी, अपनी रूचि के किसी ऐसे देश में स्थित मान्यता प्राप्त ऐसे संस्थान में अध्ययन जारी रख सकेंगे जिनके साथ भारत सरकार के राजनयिक संबंध है। योजना में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों को स्वयं प्रयास करना होंगे।

(8) सिद्धान्तः विवाहित प्रत्याशी अपने साथ अध्ययनकाल के दौरान अपने जीवनसाथी और बच्चों को नहीं ले जा सकेंगे और न ही बुला सकेंगे जब तक कि आकस्मिक परिस्थिति जैसे गंभीर बीमारी की

दशा में म.प्र.शासन की विशिष्ट और प्रथमतः पूर्व अनुमति से इस शर्त में छूट न प्राप्त कर ली गई हो। म.प्र.शासन की ओर से छात्रवृत्ति गृहिता के साथ जाने वाले जीवनसाथी और बच्चों के लिए कोई खर्चें देय नहीं होंगे।

(9) अभ्यर्थी द्वारा अपने नियोक्ता के साथ सेवाधीन संगठन के नियमानुसार समस्त प्रशासनिक मामलों यथा अवकाश वेतन आदि का निबटारा सीधे ही किया जायेगा। म.प्र.शासन की इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस बारे में कोई सहायता दी जायेगी।

(10) आकस्मिकता की दशा में, जहाँ छात्रवृत्ति गृहिता का विपरीत परिस्थिति से सामना करने के लिए कुछ समय के लिए भारत लौटना अपरिहार्य हो, उसे वैसा करने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित शैक्षणिक संस्थान को इस बारे में अवगत करा दिया गया हो, तथापि ऐसे आगमन के लिए छात्रवृत्ति गृहिता को आने–जाने का यात्रा व्यय स्वयं वहन करना होगा एवं विदेश स्थित अपने शैक्षणिक संस्थान के स्थान से बाहर रहने की अवधि में योजना के अन्तर्गत निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता नहीं होगी ओर ऐसा निर्वाह भत्ता पुनः उसी दिनांक से देय होगा, जब छात्रवृत्ति गृहिता उसी संस्थान में अपना कार्य प्रारम्भ

कर दे। घर पर आकस्मिकता का सामना करने के तुरन्त बाद, जितनी जल्दी संभव हो छात्रवृत्ति गृहिता को अपने शैक्षणिक संस्थान में लौट जाना होगा। ऐसा न कर पाने की दशा में उसे चूककर्ता घोषित किया जा सकेगा और उसके विरूद्ध वसूली की कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी।

(11) इस योजना के उपरान्त छात्रवृत्ति का उपभोग कर चुके समस्त अभ्यर्थियों के लिए भारत लौटना आवश्यक होगा और उन्हें किसी भी दशा में भारत सरकार और म.प्र.शासन के किसी अधिकारी द्वारा ''भारत न लौटने की बाध्यता होने विषयक प्रमाण–पत्र'' जारी नहीं किया जायेगा।

(12) ऐसे छात्रवृत्ति गृहिता जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व राज्य अथवा भारत सरकार अथवा राज्य या केन्द्र [क्षेत्र] के सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हों उन्हें संबंधित राज्य शासन/ सार्वजनिक उपक्रम में भारत लौटने के पश्चात् पाँच वर्ष तक सेवा करनी होगी। तथापि, म.प्र.शासन ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने पर इस शर्त को विलोपित कर सकेगा।

(13) अभ्यर्थियों को उस देश का उपयुक्त बीमा स्वयं प्राप्त करना होगा जहाँ अध्ययन के लिए यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और वीजा जारी करने वाले

प्राधिकारी [कृपया] यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल इस प्रकार का वीजा जारी किया जाये, जिससे अभ्यर्थी को विदेश में अपना पाठ्यक्रम [विशेष] पूरा करने की अनुमति हो और तदुपरान्त वह भारत वापस लौट आये। बीजा प्राप्त करने में म.प्र.सरकार अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करायेगी।

(14) चयनित अभ्यर्थियो ंको उनके प्रस्ताव से पूर्व ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और ऐसे अनुबंध निष्पादित करने होंगे जैसे कि म.प्र.शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायें।

(15) यदि छात्रवृत्ति गृहिता ने किसी दशा में अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया हो, तो उसे म.प्र.सरकार को उसे लौटाने का दायित्व होगा और उसके नियोक्ता (यदि कोई हो) को इस बात के लिए अधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी आधिक्य भुगतान की गई राशि को छात्रवृत्ति गृहिता से वसूल कर लें और मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर उसकी प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश सरकार को कर दे।

(16) म.प्र.सरकार का विनिश्चय समय–समय पर उद्भूत सभी मामलो में अंतिम होगा।

(17) म.प्र.शासन इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति से अध्ययन कर रहे व्यक्ति के संबंध में संबंधित

विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रति छःमाह में प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करेगा। संबंधित संस्थान उन गंभीर प्रतिकूल स्थितियों के बारे में म.प्र.शासन को सूचित करेगा जिनकी वजह से छात्रवृत्ति को आगे जारी रखने या अन्यथा किसी बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है, तथापि संबंधित संस्थान चूककर्ता छात्रवृत्ति गृहिता को समय–समय पर प्रतिवेदन में अपनी उपलब्धियों को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास करने की सलाह देंगे और वे यह भी स्मरण दिला सकेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत दी जा रही छात्रवृत्ति की समयावधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(18) यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये जिसमें पी. एच.डी. अथवा पी.एच.डी. उपरान्त शोध कर रहे छात्रवृत्ति गृहिता द्वारा मूलतः पंजीकृत विश्वविद्यालय/संस्थान से उसका शोध निर्देशक पद त्याग कर गया हो और उसका तत्काल कोई विकल्प उपलब्ध न हो अथवा उस विश्वविद्यालय/संस्थान ने उसे शोध समर्थन देना बंद कर दिया गया हो जहाँ छात्रवृत्ति गृहिता द्वारा पी.एच.डी./पी.एच.डी. उपरान्त शोध अध्ययन कर रहा है वहाँ उसे म.प्र.शासन की संतुष्टि एवं सहमति से विश्वविद्यालय/संस्थान बदलने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते छात्रवृत्ति गृहिता द्वारा अपने मूल विश्वविद्यालय/संस्थान में अर्जित

उपलब्धियों को दूसरे विश्वविद्यालय/संस्थान में अन्तरित किया जाये एवं ऐसे स्थानान्तरण /परिवर्तन के बाद भी छात्रवृत्ति की कुल अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण अवधि के दौरान सिर्फ एक ही बार किया जा सकेगा।

(19) किसी विषय विशेष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा पी.एच.डी.अथवा पी.एच.डी.उपरान्त शोध अध्ययन सम्पन्न करने के लिए छात्रवृत्ति देने हेतु संभावित उम्मीदवारों का चयन करने हेतु म.प्र.शासन द्वारा एक समिति गठित की जाएगी और छात्रवृत्ति के लिए चुने जाने की सूचना के दिनांक से प्रत्याशी को दो वर्ष का समय दिया जायेगा। प्रत्याशी को चयनित पाठ्यक्रम हेतु विदेश प्रस्थान करने से पूर्व म.प्र.शासन को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि इस बीच प्रत्याशी ने किसी भारतीय विश्वविद्यालय से ऐसी योग्यता अर्जित नहीं कर ली है अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय में ऐसे योग्यता के लिए सक्रिय संभावनायुक्त अपनी अंतिम थीसिस प्रस्तुत नही की है। म.प्र.शासन अभ्यर्थी से ऐसी घोषणा प्राप्त होने के उपरान्त सम्यक रूप से यह निर्णय लेगा कि योजना के अन्तर्गत क्या प्रत्याशी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाये अथवा नहीं और अभ्यर्थी का विदेश प्रस्थान इस निर्णय पर निर्भर करेगा।

(20) ऐसे प्रकरणों में जहाँ छात्रवृत्ति ग्रहिता को उसके द्वारा अध्ययन किये जा रहे पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निम्नतर श्रेणी का मूल्यांकन दिया जाता है (जैसे पी.एच.डी. के स्थान पर एम.फिल. प्रदान किया जाना) तो म.प्र.शासन उन परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और अभिनिश्चित करेगा कि क्या ऐसा छात्रवृत्ति गृहिता की शैक्षिक अक्षमता की वजह से हुआ अथवा इसके पीछे छात्रवृत्ति गृहिता के समक्ष कोई अन्य विपरीत परिस्थितियाँ थी जैसे पाठ्यक्रम निर्देशकों का बार–बार बदला जाना, कुछ अवधि के लिए निर्देशक का ही न होना, चिकित्सीय प्रमाण–पत्र द्वारा समर्थन होने पर अभ्यर्थी का मानसिक परिपीडन इसके उपरान्त ही म.प्र.शासन छात्रवृत्ति गृहिता को चूककर्ता घोषित करने या न करने का निर्णय लेगा। ऐसे प्रकरणों में म.प्र.शासन लघुतम दूरी से इकॉनामी दर्जे का भारत वापसी का वायुमार्ग का किराया उपलब्ध करायेगा और यदि छात्रवृत्ति गृहिता को चूककर्ता घोषित किया गया है तो सम्पूर्ण धनराशि, उस पर देय ब्याज सहित छात्रवृत्ति गृहीता से वसूली योग्य होगी।

(21) यदि छात्रवृत्ति गृहिता विदेश में अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेने के बाद एक माह से अधिक अवधि के पश्चात् भारत वापस लौटता है तो

उसे वापसी किराये की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

(22) अभ्यर्थी से संबंधित ऐसे सभी अप्रत्याशित मामलों में म.प्र.शासन संबंधित विभागों/एजेन्सियों के परामर्श से निर्णय लेगा, जिसके बारे में इस लिखित योजना में उल्लेख नहीं किया गया है और इस संबंध में म.प्र.शासन का निर्णय अंतिम और छात्रवृत्ति गृहिता पर बंधनकारक होगा।

8.वित्तीय सहायता

(1) नीचे दी गई वित्तीय सहायता की दरें सामाजिक न्याय विभाग के प्रत्याशियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित मापनदण्डों के अनुरूप और तदनुसार समय–समय पर सामाजिक न्याय विभाग आयुक्त, सामाजिक न्याय संचालनालय द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(2) निर्वाह भत्ते का मूल्य

इस योजना के अन्तर्गत सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक निर्वाह भत्ता 7700 अमरीकी डॉलर निर्धारित किया गया है। इंग्लैण्ड (यूके) में प्रत्याशियों के लिए योजना में सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों हेतु वार्षिक निर्वाह भत्ता 5000 पौंड स्टर्लिग होगा।

(3) शोध/ अध्यापक सहयोगवृत्ति से आय

छात्रवृत्ति गृहिता उन्हें अनुमत निर्धारित भत्तों के अलावा अमेरिकन डॉलर 2400 इंग्लैण्ड (यूके) में पाउण्ड स्टर्लिंग 1560 प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अध्यधीन शोध/अध्यापन सहयोगवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे।

	निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक होने पर तदनुसार योजनान्तर्गत उनके निर्वाह भत्ते में से कटौती की जायेगी।
(4) आकस्मिकता भत्ता	किताबों, आवश्यक उपकरणों/अध्ययन यात्रा/ टंकण और थीसिस की जिल्दबंदी के लिए 500 अमरीकन डॉलर और इंग्लैण्ड (यू.के.) में प्रत्याशियों हेतु 325 पाउण्ड स्टर्लिंग वार्षिक आकस्मिक भत्ता देय होगा।
(5) टोल टैक्स	जहाँ कहीं देय होगा, वास्तविक खर्च देय होगा।
(6) बीजा शुल्क	वास्तविक बीजा शुल्क का भुगतान भारतीयों रूपयों में किया जायेगा।
(7) उपकरण भत्ता और अनुषंगी यात्रा खर्चे	रूपये 1100 का उपकरण भत्ता और अमेरिकन डॉलर 15 का अनुषंगी यात्रा भत्ता अथवा भारतीय रूपये में समतुल्य अनुमत है।
(8) शुल्क और बीमा प्रीमियम	वास्तविक खर्च दिया जायेगा।
(9) वायुयान किराया	शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायुमार्ग से जाने एवं वापसी का लघुतम वायुमार्ग से इॅकानामी दर्जे का किराया उपलब्ध कराया जायेगा।
(10) स्थानीय यात्रा	उतरने के पत्तन (पोर्ट) से अध्ययन के स्थान तक जाने एवं वापसी यात्रा हेतु द्वितीय श्रेणी का रेल किराया/दूरस्थ स्थानों के प्रकरण में, जो कि रेल से न जुड़े, रहने के स्थान तक आने–जाने का बस किराया,फेरी द्वारा उतराई का वास्तविक मूल्य

निकटतम रेल सह वायु स्टेशन तक का वायुमार्ग से किराया अथवा लघुतम मार्ग से उतरने के पत्तन (पोर्ट) तक आने–जाने का द्वितीय श्रेणी रेल किराया देने की अनुमति होगी।

(11) म.प्र.शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर आयोजित चयन साक्षात्कार देने के लिए प्रत्याशी को निवास स्थान से संबंधित शहर तक आने–जाने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल किराया/साधारण श्रेणी का बस किराया दिया जायेगा।

ऊपरनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता के भुगतान का तरीका म.प्र.शासन द्वारा निश्चित किया जायेगा।

9. छात्रवृत्ति की अवधि (1) विहित वित्तीय सहायता संबंधित पाठ्यक्रम / शोध के पूरा होने अथवा निम्नांकित अवधि, जो भी पहले पूरी हो, तक के लिए देय होगी।

(क) पी.एच.डी.उपरान्त शोध डेढ वर्ष,

(ख) पीच.एच.डी. 4 वर्ष,

(ग) स्नातकोत्तर उपाधि 2 वर्ष,

(2) मात्र संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा (साथ ही विदेश स्थित भारतीय दूतावास द्वारा) इस आशय की प्रमाणित अनुशंसा प्राप्त होने पर कि एक विशिष्ट समयावधि तक के लिए अधिक रूकना पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नितान्त आवश्यक है, विचार किया जा सकेगा। तथापि

इस बारे में अंतिम निर्णय एकमेव म.प्र.शासन पर निर्भर करेगा।

(3) इस योजना का क्षेत्राधिकार चुने हुए अभ्यर्थी को विशिष्ट विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए विहित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना में छात्रवृत्ति गृहिता को नियोजन उपलब्ध कराना शामिल नहीं है और न ही छात्रवृत्ति पूरी करने के बाद कहीं उसे नियोजन प्राप्त करने में कोई सहायता ही उपलब्ध कराना है।

10. इस योजना के अन्तर्गत चूक

यदि किसी प्रकरण में कोई अभ्यर्थी जो विदेश में अध्ययन कर रहा है स्वयं को इस बारे में निष्पादित बंधपत्र की शर्त और दशाओं का उल्लघंन करता है और यदि संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के अध्ययन के बारे में म.प्र.शासन को प्रतिकूल प्रतिवेदन सूचित किया जाता है अथवा प्रत्याशी वह देश छोड़कर अन्यत्र चला जाता है अथवा लापता हो जाता है अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेता है अथवा आकस्मिक परिस्थिति में बिना म.प्र. शासन को सूचित किये भारत लौट आता है तो उसे चूककर्ता घोषित कर दिया जायेगा एवं उस पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के लौटाने हेतु छात्रवृत्ति गृहीता दायित्वाधीन होगा और

यदि प्रत्याशी मांग पत्र भेजे जाने के दिनांक से छः माह के भीतर उसे नहीं लौटाता तो शेष राशि पर देय सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत ब्याज भारित होगा। यदि अभ्यर्थी शोध राशि मय ब्याज के म.प्र. शासन द्वारा निर्दिष्ट अनुसार अदा कर पाने में विफल रहता है तो बंधपत्र निष्पादित करने वाले उसके जमानतदार इस सम्पूर्ण राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे और इसमें विफल रहने पर संबंधित जिले का कलेक्टर इसे भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करेगा।

11. चयन पद्धति

(1) यह योजना उसका संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी। प्रत्याशी अपनी सक्षमता और उपयुक्तता निर्धारण करने के बाद, विहित प्रपत्र में जो कि विज्ञापन का ही अंग होगा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय को आवेदन कर सकेंगे (नियोजित प्रत्याशी उपयुक्त प्रणाली से आवेदन भेजेंगे) विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख किया जायेगा। निश्चित दिनांक तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्र संवीक्षा हेतु गठित समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) संवीक्षा समिति द्वारा लघुकृत प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए चयन समिति के समक्ष बुलाया

जायेगा। योग्यता निर्धारण के लिए चयन समिति के तैयार की गई प्रावीण्य सूची जो गुणानुक्रम से हरेक प्रत्याशी के आंकलन के आधार पर बनेगी, अंतिम और निर्णायक रूप से चयन प्रक्रिया को सम्पन्न कर देगी। दो प्रत्याशियों के बीच समानता की दशा में उनके बीच चयन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण–पत्र में दर्ज उनकी जन्मतिथि के आधार पर होगा अर्थात् जो आयु में वरिष्ठतम होगा उसे चुना जायेगा।

(3) संवीक्षा समिति और चयन समिति का गठन म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जायेगा।

12. असत्य जानकारी का दिया जाना

(1) यदि कोई प्रत्याशी ऐसे दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करता है जो असत्य ठहराई जाये, वह इस वृत्ति के लिए अयोग्य माना जायेगा और यदि उसने वृत्ति प्राप्त कर ली है तो उसके विरूद्ध वसूली की कार्रवाई संस्थित की जायेगी जो कि उस पर व्यय धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्याज सहित होगी।

(2) ऐसा प्रत्याशी भविष्य के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा और उसके इस कृत्य के लिए उसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु संबंधित नियोक्ता से म. प्र.शासन पहल करेगा।

(3) अतः संबंधित नियोक्ताओं से भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस विभाग को आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व आवेदन की विषयवस्तु की अच्छी तरह पड़ताल

कर लें । ऐसे नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित अभ्यर्थी कार्मिकों से अपने नियम निर्देशों के अनुसरण में आवश्यक और जैसे वे उचित समझे वैसे बंधपत्र निष्पादित कराने हेतु स्वतंत्र है।

(4) इस योजना से उद्‌भूत मामलों पर किसी वाद के निराकरण के लिए भोपाल स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
नाम से
तथा आदेशानुसार,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग